न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप

पीठासीन अधिकारी– मांगीलाल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम
प्रकरण संख्याः– 90/2021

प्रार्थीनीगण — **बनाम** — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीनीगण

01. पुष्पा देवड़ा पत्नि ओमप्रकाश
02. पूजा पत्नि देवेन्द्र कुमार
    जाति जीनगर नि. इन्द्रा कॉलोनी
    फलोदी तह. फलोदी जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

01. खींयाराम पुत्र भूराराम
02. मोहन पुत्र जसवतांराम
    जाति विश्नोई
    नि. जम्भेवश्वरनगर द्वितीय
    तह. बाप जिला जोधपुर
03. सीतादेवी पत्नि भंवराराम
    जाति जाट नि. माण्डियाईखुर्द
    तह. ओसियां जि. जोधपुर
04. तेजाराम पुत्र खींयाराम
    जाति विश्नोई नि. जैसला
    तह. बाप जिला जोधपुर
05. सोहनलाल पुत्र बुलाराम
06. अमकू पुत्री बुलाराम
07. गवरी पुत्री बुलाराम
08. सुखराम पुत्र हरिंगाराम
09. प्रतापराम पुत्र हरिंगाराम
    जाति विश्नोई नि. नगरासर
    तह. कोलायत जि. बीकानेर
10. शांति पत्नि भूराराम
11. हीराराम पुत्र भूराराम
    जाति विश्नोई निवासी जैसंला
    तहसील बाप जिला जोधपुर
12. शाखा प्रबन्धक बी. ओ. बी.
    शाखा फलोदी
13. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.
    शाखा कानसिंह की सिड
14. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक
    शाखा चाम जिला जोधपुर
15. श्रीमान तह[illegible] बाप

(मुहर: उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी बाप (राज.))

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:35 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीनीगण की ओर से
2. अप्रार्थीगण सं. 1 ता 14 की ओर से कोई उपस्थित नहीं
3. अप्रार्थी सं. 15 सरकारी पैरोकार स्वंय उपस्थित

उप खण्ड अधिकारी-बाप
29.9.2022

निर्णय

दिनांक :— 29.09.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीनीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 45/3 रकबा 38—18 बीघा सरहद मौजा जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीनीगण का अपने—अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीनीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग—अलग रहवासीय ढाणियां, पानी के टांका, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थीनीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थीनीगण ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने क्रमांक 438 दिनांक 30.05.2020 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 4.10.2020 को मौके पर जाकर प्रार्थीनीगण की उपस्थिति में उक्त भूमि की भूमि पैमाईश मुश्तकिल बिन्दू से की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थीनीगण को सुनाया गया और उक्त फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थीनीगण जब पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगे तो उक्त भूमि के पड़ौसी खातेदारान अप्रार्थीगण सं. 1 ता 11 ने पैमाईश प्रार्थीनीगण की हद में खूंटे रोपने से मना कर दिया। उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीनीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीनीगण को अपूरर्णीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थीनीगण दिनांक 04.10.2020 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 14 बावजूद तामिल नोटिस हाजिर नही हुए उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 15 सरकारी पैराकार ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि प्रार्थीनीगण उक्त भूमि की रेकर्डेड खातेदार है और प्रार्थीनीगण की उक्त भूमि की पैमाईश अनुसार [illegible] की हद में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 11 को सूचित करते हुए पत्थर गढ़ी किया [illegible] है, पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीनीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों [illegible]हराते हुए बताया कि प्रार्थीनीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 45/3 रकबा 38—18 बीघा सरहद मौजा जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीनीगण का अपने—अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:35 IST
Reason: SelfAttested

29.9.2022
उप खण्ड अधिकारी बाप

शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीनीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग–अलग रहवासीय ढाणियां, पानी के टांका, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीनीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीनीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थीनीगण दिनांक 04.10.2020 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2078–2081, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 45/3 रकबा 38–18 बीघा भूमि के प्रार्थीनीगण खातेदार है, प्रार्थीनीगण ने दिनांक 14.10.2020 को उक्त भूमि की नियमानुसार पैमाईश करवाई थी जो मौका फर्द से प्रमाणित होता है। रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थर गड्ढी करवाने का पूरा–पूरा अधिकार है, सरकारी पैरोकार ने भी उक्त भूमि की पत्थर गड्ढी किये जाने की अनुशंषा की है। इसलिये प्रार्थीनीगण अपनी खातेदारी भूमि की अपनी हद में पत्थर गड्ढी करवाने के अधिकारिणी है। अतः प्रार्थीनीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जम्भेश्वरनगर द्वितीय पटवार क्षेत्र बड़ीसिड तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 45/3 रकबा 38–18 बीघा भूमि की पत्थर गड्ढी मौका फर्द दिनांक 14.10.2022 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुये किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीनीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.9.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:35 IS
Reason: SelfAttested